

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

(07838-232721 (काया), 232722(फैक्स), (Email ID: Korea.cg@nic.in)

—:आदेश:—

बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/05/2020

क्रमांक/4049/एस.डब्ल्यू./2020 :- कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3992/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 17.05.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है।

2- जिसके तारतम्य में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1564/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 21.03.2020, आदेश क्रमांक/1585/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक/1613/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक/1696/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक/1823/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 08.04.2020, आदेश क्रमांक/2117/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 24.04.2020, आदेश क्रमांक/3195/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 05.05.2020, आदेश क्रमांक/3406/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 08.05.2020, आदेश क्रमांक/3496/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 10.04.2020, आदेश क्रमांक/3775/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.05.2020 एवं आदेश क्रमांक/3862/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.05.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये जिला कोरिया अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों की अनुमति निम्न दिवसों/समय में प्रदान की जाती है:-

क्षेत्र - मनेन्द्रगढ़, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी -


- कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। (दिन - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
- जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्यूटर, टायर दुकानें। (दिन - सोमवार, मंगलवार, गुरुवार)

क्षेत्र - बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर-

- कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। (दिन - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
- जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्यूटर, टायर दुकानें। (दिन - सोमवार, मंगलवार, गुरुवार)

क्षेत्र - समस्त सीमाक्षेत्र जिला कोरिया-

- सीमेंट/सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें, बिजली की पंखे की दुकान, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिचार्ज की दुकानें (सोमवार से शुक्रवार)
- प्रिन्टिंग प्रेस/फ्लैक्स। (दिन -मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार)
- फोटो स्टूडियो। (दिन -मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार)
- सभी प्रकार की मिठाईयां (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। (दिन - सोमवार से शुक्रवार)

  
20/5/2020

- चाट/गोलगप्पे/लिट्टी चोखा/फास्ट फूड/अन्य ठेले (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। (दिन - सोगवार से शुक्रवार) (टीप- प्रत्येक ठेले की दूरी कम से कम 20 फीट की होगी।

उपरोक्तानुसार समस्त दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 09.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों/संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत् रहेगा।

- डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 07.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।
- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3978/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 15.05.2020 को नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र के हल्दीबाड़ी में एक मरीज कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर नगर क्षेत्र चिरमिरी हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3987/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 17.05.2020 के द्वारा प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों/सेवाओं की अनुमति यथावत् रहेंगी।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत् रहेगे।
- पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पॉट/कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।

पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत् रहेगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।  
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



17/05/2020  
(डोगन सिंह)  
DISTRICT REGISTRAR  
जिला दण्डाधिकारी  
बैकुण्ठपुर

पृ. क्रमांक/4050/एस.डब्ल्यू./2020  
प्रतिलिपि :-

बैकुण्ठपुर दिनांक 20/05/2020

- 01- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02- प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 03- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 04- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 05- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 06- आयुक्त (रा०), सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- 07- पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
- 08- आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 09- पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 10- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ





- 11- अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 12- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 13- सर्व मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 14- सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
- 15- अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरमिरी/बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 16- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 17- समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
- 18- सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
- 19- आयुक्त, नगरपालिका निगम, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
- 20- सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
- 21- जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 22- सर्व कार्यालय प्रमुख जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 23- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

14/05/20  
 कलेक्टर  
 जिला दण्डाधिकारी  
 जिला कोरिया (छीगो)  
 21/5/20

